

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 524]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 29 नवम्बर 2011—अग्रहायण 8, शक 1933

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ5-06/2006/तेरह : इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स, 1956 के नियम 7 के उपनियम (2) और नियम 46 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए और इस विषय में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेश तथा अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, यह निर्देश देती है कि सरकार के विद्युत् निरीक्षक या उनके सहायकों द्वारा भारतीय विद्युत् अधिनियम, 1910 (1910 का 9) के अधीन किए जाने वाले परीक्षण तथा निरीक्षण के लिये तथा सामान्यतः उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए फीस निम्नलिखित दरों के मान के अनुसार उद्गृहीत की जाएगी।

2. ये दरें इनके राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगी।

निरीक्षण फीस — अनुसूची

भाग — एक मध्यमदाब, उत्पादक, उच्चदाब एवं अति उच्चदाब स्थापनाओं का निरीक्षण

संस्थापना का वर्ग	संस्थापना की क्षमता	प्रत्येक निरीक्षण के लिये फीस (रु० में)	निरीक्षण की आवृत्ति
1	2	3	4
(1) उपभोक्ताओं की मध्यमदाब संस्थापनायें (सिनेमा/जनरेटर को छोड़कर)			
	1. कृषि पम्प	20	5 वर्ष में एक बार

विद्युत उपभोक्ताओं, जनरेटर, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की संस्थापनाएं	2. अन्य संस्थापनाएं		एक बार
	क- 10 हा.पा. (अश्व शक्ति) तक		वर्ष में एक बार
	(एक) आटा चक्की (ग्रामीण)	100	
	(दो) आटा चक्की (शहरी)	200	
	(तीन) अन्य	200	
	ख- 10 हा.पा. (अश्व शक्ति) से अधिक 50 हा.पा. (अश्व शक्ति) तक	300	
	ग- 50 हा. पा. (अश्व शक्ति) से अधिक	500	
(2) उच्चदाब तथा अति उच्चदाब संस्थापनाएं ट्रांसफार्मर, बूस्टर, कैपेसिटर्स बैंक, रियेक्टर, पावर स्टेशन, मोटर एवं जनरेटिंग सेट			
विद्युत उपभोक्ताओं, जनरेटर, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की संस्थापनाएं	1. 25 के.व्ही.ए. तक	300	वर्ष में एक बार
	2. 25 के.व्ही.ए. से अधिक और 100 के.व्ही.ए. तक	1000	
	3. 100 के.व्ही.ए. से अधिक और 500 के.व्ही.ए. तक	2000	
	4. 500 के.व्ही.ए. से अधिक और 1000 के.व्ही.ए. तक	4000	
	5. 1000 के.व्ही.ए. से अधिक और 5000 के.व्ही.ए. तक	6000	
	6. 5000 के.व्ही.ए. से अधिक और 10000 के.व्ही.ए. तक	12000	
	7. 10000 के.व्ही.ए. से अधिक और 50000 के.व्ही.ए. तक	16000	
	8. 50000 के.व्ही.ए. से अधिक	20000	
(3) उच्चदाब, अति उच्चदाब स्थापना के ब्रेकर / पेनल			
विद्युत उपभोक्ताओं, जनरेटर, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की संस्थापनाएं	1. 11 केव्ही तक	500	नवीन / परिवर्तित / परिवर्धित के समय
	2. 11 केव्ही से अधिक और 33 केव्ही तक	1000	
	3. 33 केव्ही से अधिक और 132 केव्ही तक	2000	
	4. 132 केव्ही से अधिक और 220 केव्ही तक	3000	
	5. 220 केव्ही से अधिक और 400 केव्ही तक	4000	
	6. 400 केव्ही से अधिक	5000	
(4) नई उच्चदाब या अति उच्चदाब ओवरहेड लाइन			
विद्युत उपभोक्ताओं, जनरेटर, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कम्पनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की संस्थापनाएं	प्रत्येक किलोमीटर या उसके भाग के लिये		नवीन / परिवर्तित / परिवर्धित के समय
	1. 11 केव्ही तक	200	
	2. 11 केव्ही से अधिक और 33 केव्ही तक	500	
	3. 33 केव्ही से अधिक और 132 केव्ही तक	1000	
	4. 132 केव्ही से अधिक और	2000	

	220 केव्ही तक		
	5. 220 केव्ही से अधिक और 400 केव्ही तक	3000	
	6. 400 केव्ही से अधिक	5000	
(5) नए उच्चदाब या अति उच्चदाब केबल्स / बसडकट ओवरहेड लाइन को छोड़कर)			
विद्युत उपभोक्ताओं, जनरेटर, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की संस्थापनाएं	1. 11 केव्ही तक		
	क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	500	
	ख-प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	200	
	2. 11 केव्ही से अधिक और 33 केव्ही तक		
	क-प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1000	
	ख-प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	500	
	3. 33 केव्ही से अधिक		
	क- प्रथम 100 मीटर या उसके भाग के लिए	2000	
	ख-प्रत्येक अतिरिक्त 100 मीटर या उसके भाग के लिए	1000	
(6) - मद (4) के अंतर्गत न आने वाली ओवरहेड लाईनें तथा सर्विस लाईनें			
विद्युत उपभोक्ताओं, जनरेटर, जनरेटिंग कंपनी, ट्रांसमिशन कंपनी, वितरण कंपनी, फेंचाइजी की संस्थापनाएं	1. प्रत्येक स्थान के लिये	50	
	2. प्रत्येक क्रॉसिंग के लिए	200	
भाग -दो. धारा 54 (विद्युत अधिनियम, 2003) के अधीन			
(एक) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 54 के अन्तर्गत संस्थापनाएं	(1) विवाह के स्थाई स्थान		
	(क) 100 केव्हीए तक की स्थापनाएं	1000	
	(ख) 100 केव्हीए से अधिक और 500 केव्हीए तक की स्थापनाएं	2000	
	(ग) 500 केव्हीए से अधिक और 1000 केव्हीए तक की स्थापनाएं	3000	
	(घ) 1000 केव्हीए से अधिक की स्थापनाएं	5000	
	(2) विवाह के अस्थायी स्थान	1000	
	(3) नर्सिंगहोम/ अस्पताल/ होटल/ शॉपिंग मॉल		
			वर्ष में एक बार
			प्रत्येक संयोजन के पूर्व

	(क) 100 केव्हीए तक की संस्थापनाएं	2000	वर्ष में एक बार
	(ख) 100 केव्हीए से अधिक एवं 500 केव्हीए तक की संस्थापनाएं	3000	
	(ग) 500 केव्हीए से अधिक की संस्थापनाएं	5000	
(दो) सिनेमा या अन्य सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान	1. स्थायी सिनेमा या थियेटर या मल्टीप्लेक्स (प्रति स्क्रीन)	2000	वर्ष में एक बार
	2. चलता फिरता (ट्रेवलिंग) सिनेमा या सार्वजनिक मनोरंजन के अस्थायी स्थान (साधन)	1000	वर्ष में दो बार
(तीन) अन्य उच्च दाब संस्थापनाएं	उपकरण जैसे एक्सरे, निओन, साइन, सी.टी. स्कैन आदि	1000	वर्ष में एक बार
भाग - तीन अन्य विद्युत संस्थापनाएं			
(1)-बहु मंजिला भवन	प्रत्येक बहुमंजिला भवन के लिए	2000	वर्ष में एक बार
(2)-लिफ्ट / एस्केलेटर संस्थापनाएं	प्रत्येक लिफ्ट / एस्केलेटर संस्थापना के लिये	2000	वर्ष में एक बार

टिप्पणी : निरीक्षण फीस के प्रयोजन के लिये.-

- (1) उच्चदाब तथा अति उच्चदाब स्थापनाओं के साथ स्थापित मध्यमदाब उपकरणों पर कोई निरीक्षण फीस देय नहीं होगी, किन्तु, उच्चदाब तथा अति उच्चदाब स्थापना में स्थापित प्रत्येक बूस्टर, कैपेसिटर बैंक, जनरेटर, रियेक्टर, मोटर, ट्रांसफार्मर, ब्रेकर / पेनल के लिये उनकी क्षमतानुसार प्रत्येक उपकरण पर निरीक्षण फीस भाग-एक (2) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर देय होगी।
- (2) मध्यमदाब/ उच्चदाब/अति उच्चदाब की संस्थापनाओं में स्थापित जनरेटर के लिए भाग - एक (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर निरीक्षण फीस देय होगी।
- (3) नवीन विद्युत स्थापना अथवा उसके परिवर्तन या परिवर्धन के रेखाचित्र के अनुमोदन हेतु निरीक्षण फीस की दर की 80 प्रतिशत, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अग्रिम रूप से भुगतान करनी होगी।
- (4) सिनेमा, एक्सरे, उच्चदाब, न्योनसाइन ट्यूब, लिफ्ट, एस्केलेटर एवं जनरेटर के प्रत्येक मामले में अलग अलग निरीक्षण फीस देय होगी।
- (5) विवाह / नर्सिंग होम/अस्पताल/होटल /शॉपिंग मॉल की आन्तरिक स्थापना की निरीक्षण फीस अनुसूची के भाग - दो (एक) के (1) एवं (3) में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार देय होगी तथा इन संस्थापनाओं में संस्थित ट्रांसफार्मर, तथा जनरेटर आदि की निरीक्षण फीस अनुसूची के भाग - एक (2) में यथा विनिर्दिष्ट किए अनुसार देय होगी।
- (6) जहाँ कहीं भी मशीनरी या उपस्कर की क्षमता का निर्धारण किया गया हो, वहाँ किलोवाट के स्थान पर, "किलोवोल्ट्स एम्पीयरस" या "बी.एच.पी." या "के.वी.ए.आर." पढ़ा जाए।
- (7) शासन के वाटर वर्क्स, सीवेज पम्पिंग स्टेशन को निरीक्षण शुल्क के उद्ग्रहण से छूट प्रदान की जाती है।

(8) किसी मध्यमदाब/उच्चदाब/अति उच्चदाब स्थापना में स्थापित एस्केलेटर अथवा लिफ्ट स्थापित करने हेतु निरीक्षण फीस अनुसूची भाग - तीन (2) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार देय होगी।

(9) सिनेमा स्थापना में लगे जनरेटर या कूलिंग प्लांट के लिये निरीक्षण फीस पृथक् से देय नहीं होगी।

(10) फीस का भुगतान -

फीस का भुगतान स्वामी या उसके अभिकर्ता द्वारा शासकीय कोषालय निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत किया जाएगा -

सिनेमा को छोड़कर संस्थापनाओं के लिये राजस्व शीर्ष	:	0043-विद्युत पर कर तथा फीस , 102-भारतीय विद्युत नियमों के अधीन फीस
---	---	--

और

सिनेमा के लिये राजस्व शीर्ष	:	0043-विद्युत पर कर तथा फीस , 103-सिनेमाओं के बिजली सम्बन्धी निरीक्षण की फीस
-----------------------------	---	---

तथा कोषालय का चालान, विद्युत निरीक्षक अथवा सहायक विद्युत निरीक्षक को भेजा जाएगा।

(11) निरीक्षण फीस का भुगतान नीचे दर्शाई गई तारीखों के पूर्व किया जायेगा -

(एक) ऊपर प्रवर्ग भाग- दो (एक) (2) एवं (दो)(2) से भिन्न विद्यमान संस्थापनाओं के लिये फीस का भुगतान प्रत्येक वर्ष एक मई के पूर्व किया जायेगा। मध्य प्रदेश पूर्व/पश्चिम/मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पॉवर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड की संस्थापनाओं के लिये फीस का भुगतान, निरीक्षण के उपरान्त बिल की प्राप्ति के दिनांक से एक माह के भीतर किया जाएगा।

(दो) ऊपर भाग- दो (दो) (2) के अधीन आने वाली संस्थापनाओं के लिये संबंधित अर्द्धवार्षिक फीस का भुगतान एक मई तथा एक नवम्बर के पूर्व किया जायेगा। उपरोक्त तारीखों पर संस्थापना उपयोग में नहीं लाए जाने की दशा में प्रत्येक अर्द्ध वर्ष के लिये फीस का भुगतान संस्थापना के उपयोग करने के पूर्व किया जाएगा।

(तीन) ऐसी नवीन उच्चदाब/अति उच्चदाब/उत्पादक (जनरेटर) संस्थापनाएं या नए सिनेमा के लिये, जिसमें उनके परिवर्तन या परिवर्धन भी सम्मिलित हैं, फीस का भुगतान अग्रिम में किया जाएगा और कोषालय चालान विद्युत निरीक्षक अथवा सहायक विद्युत निरीक्षक को, ऐसी संस्थापना के निरीक्षण या अनुमोदन के लिये आवेदन पत्र के साथ भेजा जाएगा। नवीन संस्थापनाओं के लिये निरीक्षण फीस, अनुसूची में भाग- एक (2) में यथाविनिर्दिष्ट दर से 50 प्रतिशत अधिक देय होगी।

(चार) अन्य नई संस्थापनाओं जिनमें उनका परिवर्धन या परिवर्तन भी सम्मिलित है और मौसमी कारखानों के लिये फीस का भुगतान संस्थापनाओं को उपयोग में लाए जाने के पूर्व किया जाएगा।

- (पॉच) अतिरिक्त निरीक्षण के लिये देय फीस का भुगतान, प्रत्येक मामले में विद्युत निरीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट की गई तारीख के पूर्व किया जायेगा।
- (छह) भाग-एक (6) के अधीन स्थापनाओं के लिये फीस का उदग्रहण केवल ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती निरीक्षण के लिये किया जाएगा जो विद्युत अधिनियम, 2003 या उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबंधों में से किसी उपबंध के भंग होने के कारण आवश्यक हो गया हो। एक ही पोल से ली जाने वाली प्रत्येक सर्विस लाईन की फीस अलग-अलग देय होगी।
- (12) खण्ड (11) में दर्शाई गयी तिथि के पूर्व फीस का भुगतान नहीं किए जाने की दशा में, देय फीस में 20 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी।
- (13) निरीक्षण या अतिरिक्त निरीक्षण नहीं किए जाने की दशा में, संदत्त फीस का समायोजन पश्चात्वर्ती वर्ष अथवा छह माही में किए जाने वाले निरीक्षण के लिये प्रभारित निरीक्षण फीस में किया जाएगा।
- (14) यदि किसी नई संस्थापना का उपयोग वित्तीय वर्ष के अंतिम दो माह के दौरान किया जाता है, तो संदत्त वार्षिक फीस के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उसका भुगतान उस वर्ष की, जिसमें कि फीस का भुगतान किया गया है, अल्प कालावधि के तथा साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष की पूर्ण कालावधि के लिये किया जा चुका है।
- (15) यदि किसी संस्थापना का निरीक्षण किए जाने के पूर्व ही उसे विच्छेदित (डिस्कनेक्ट) कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो, तो कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
- (16) किसी मोटर या अन्य साधित्र की दशा में, जिसे 15 दिन से अनाधिक की कालावधि के लिये परीक्षण के तौर पर शक्ति प्रयोजन के लिए संस्थापित किया गया हो तो कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
- (17) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये "वर्ष" से अभिप्रेत है दिनांक 1 अप्रैल से 31 मार्च का वित्तीय वर्ष।
- (18) ऊपर विहित की गई फीस ऊपर दर्शाई निरीक्षण की आवृत्ति के अनुसार, प्रत्येक नियतकालिक निरीक्षण के लिये देय होगी। प्रथम या प्रारम्भिक निरीक्षण के सम्बन्ध में यह समझा जाएगा कि वह उस कालावधि के लिये जिसमें कि निरीक्षण किया गया हो, नियतकालिक निरीक्षण है। विद्युत अधिनियम, 2003 या उनके अधीन बनाये गये नियमों तथा विनियमों या सिनेमाटोग्राफ रूल्स एण्ड रेगुलेशन के उपबंधों में से किसी भी उपबंध के भंग होने पर किए गए प्रत्येक अतिरिक्त निरीक्षण के पूर्व लिये निरीक्षण फीस की आधी राशि प्रभारित की जाएगी।

भाग - चार विवाद

यदि मुख्य विद्युत निरीक्षक या विद्युत निरीक्षक को विद्युत अधिनियम, 2003 के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या किसी करार के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मतभेद या विवाद को निपटाने के लिये आहूत किया जाये तो निम्नलिखित फीस देय होगी -

- (क) निम्न दाब तथा मध्यम दाब उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ₹0 250/-
- (ख) उच्चदाब तथा अति उच्च दाब उपभोक्ताओं के सम्बन्ध में ₹0 5000/-

टिप्पणी : किसी उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के बीच किसी मीटर के सही होने के बारे में हुए किसी मतभेद या विवाद के सम्बन्ध में आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत निरीक्षक, उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी से उपभोक्ता के परिसर में उपस्थित होने के लिये ठहराव करेगा । विद्युत निरीक्षक, मीटर को अपने प्रभार में लेगा जिससे उसकी उपस्थिति में ही और केवल अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ही सर्किट से असंयोजित किया जाएगा ।

भाग - पांच—साधित्रों का परीक्षण

(1) मीटरों के परीक्षण तथा अन्य परीक्षणों के लिये निम्नानुसार फीस देय होगी—

अनु० क्र०	परीक्षण/परीक्षण किये जाने वाले उपस्कर का नाम	देय फीस (रु० प्रति मीटर/प्रति परीक्षण)
(1)	(2)	(3)
(क)	एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, पावर फ़ैक्टर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर	200
(ख)	इनर्जी मीटर—	
	20 एम्पीयर तक	500
	20 एम्पीयर से अधिक	1000
(ग)	इन्सुलेशन टेस्टर —	
	500 वोल्ट	500
	500 वोल्ट से अधिक	800
(घ)	ऑयल टेस्ट— डाय इलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ/एसीडिटी	300
(ङ.)	इन्सुलेशन टेस्ट —	
	निम्न तथा मध्यम दाब	200
	उच्च तथा अति उच्च दाब	500
(च)	वोल्टेज टेस्टिंग	200
(छ)	अर्थ टेस्टर	500

टिप्पणी :

- (1) यदि एक ही श्रेणी तथा विशिष्टियों (स्पेसीफिकेशन) के दस या दस से अधिक मीटरों का एक ही बैच में परीक्षण किया जाना हो या एक निरन्तर कालावधि में प्रति घंटे या आधे घंटे पर 10 या 10 से अधिक बार वोल्टेज का परीक्षण किया जाना हो तो देय फीस, ऊपर दर्शाई गई फीस की आधी होगी ।
- (2) ऊपर के परीक्षण, उपलब्ध सुविधाओं की सीमा तक किये जाएंगे ।
- (3) यदि विवाद के मामले में मीटर का परीक्षण करना आवश्यक समझा जाए, तो ऐसे परीक्षण के लिये फीस, विवाद के लिये निर्धारित फीस के अतिरिक्त होगी ।
- (4) ऊपर दर्शाये गये परीक्षणों से भिन्न परीक्षण तथा जो आवश्यक हो, फीस ऐसी दर पर प्रभारित की जाएगी जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर, नियत करे ।
- (5) किसी उपस्कर या नमूने के परीक्षण के लिये आवेदन संलग्न प्ररूप में किया जायेगा। उपस्कर तथा टर्मिनल अच्छी अवस्था में होंगे। किसी भी सहायक उपस्कर को भी, जो परीक्षण के लिये आवश्यक हो, प्रस्तुत किया जायेगा ।
- (6) देय फीस शासकीय कोषालय में जमा की जायेगी और चालान विद्युत निरीक्षक को भेजा जाएगा ।

**विद्युत साधित्रों तथा अन्य परीक्षण के परीक्षण कराने के लिये
आवेदन – पत्र का प्ररूप**

प्रति,
विद्युत निरीक्षक
.....

हम निम्नानुसार उपस्कर/नमूना परीक्षण के लिये ब्यौरे भेज रहे हैं :-

1. उपस्कर का नाम
2. उपस्कर के निर्माता का नाम
3. उपस्कर का विनिर्माण क्रमांक
4. उपस्कर की क्षमता तथा वोल्टेज
5. नमूने (सैम्पल) का ब्यौरा
6. नमूना (सैम्पल) लेने की तारीख
7. जिसने नमूना (सैम्पल) लिया है व्यक्ति का नाम तथा पदाभिधान

हम एतद्द्वारा, यह करार करते हैं कि विद्युत निरीक्षक की अभिरक्षा में साधित्रों के रहते समय उनमें किसी भी कारण से हुए नुकसान या हानि के लिये मध्य प्रदेश सरकार या विद्युत निरीक्षक से कोई भी प्रतिकार नहीं मांगेंगे ।

स्थान :

(आवेदक के हस्ताक्षर) –

दिनांक :

नाम –

पदाभिधान –

संगठन का नाम –

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. गुप्ता, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th November, 2011

No.F.5-06-2006-XIII: In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 7 and sub-rule (2) of rule 46 of the Indian Electricity Rules, 1956 and in supersession of all the previous orders and notification issued on the subject, the State Government, hereby, direct that the fees for testing and inspection and generally for the services of the Electrical Inspector to Government or their Assistant under the Indian Electricity Act, 1910 (9 of 1910), shall be levied in accordance with the following scale of rates.

2. These rates shall come in to force with effect from the date of publication of in the official gazette.

INSPECTION FEES – SCHEDULE

Part-I Inspection of Medium Voltage, Producer, High Voltage and Extra High Voltage Installation

Class of Installation	Capacity of Installation	Fees in Rs. For each inspection	Frequency of Inspection
1	2	3	4
(1) Medium Voltage Installations of the consumers (except Cinema/Generator)			
The Installation of the electricity consumers, Generator, Generating company, Transmission Company, Distribution company, Franchisee	1. Agricultural Pumps	20	Once in 5 yr
	2. Other Installations		Once in a year
	A - Up to 10 HP		
	(one) Flour Mill (Rural)	100	
	(Two) Flour Mill (Urban)	200	
	(Three) Others	200	
	B – Exceeding 10 HP to 50 HP	300	
	C - Exceeding 50 HP	500	
(2) High Voltage and Extra High Voltage Installations Transformer, Booster, Capacitors Bank, Reactor, Power Station, Motors and Generating Sets			
The Installation of the electricity Consumers, Generator, Generating company, Transmission company, Distribution company, Franchisee	1. Up to 25 KVA	300	Once in a year
	2. Exceeding 25 KVA and up to 100 KVA	1000	
	3. Exceeding 100 KVA and up to 500 KVA	2000	
	4. Exceeding 500 KVA and up to 1000 KVA	4000	
	5. Exceeding 1000 KVA and	6000	

	up to 5000 KVA		
	6. Exceeding 5000 KVA and up to 10000 KVA	12000	
	7. Exceeding 10000 KVA and up to 50000 KVA	16000	
	8. Exceeding 50000 KVA	20000	
(3) Breaker /Panel of the High Voltage and Extra High Voltage Installations			
The Installation of the electricity Consumers, Generator, Generating company, Transmission company, Distribution company, Franchisee	1. Up to 11 KV	500	At the time of New / addition / alteration
	2 Exceeding 11 KV and up to 33 KV	1000	
	3. Exceeding 33 KV and up to 132 KV	2000	
	4. Exceeding 132 KV and up to 220 KV	3000	
	5. Exceeding 220 KV and up to 400 KV	4000	
	6. Exceeding 400 KV	5000	
(4) New High Voltage and Extra High Voltage Over Head Lines			
The Installation of the electricity Consumers, Generator, Generating company, Transmission company, Distribution company, Franchisee	For each Kilometer or part thereof		At the time of New / addition / alteration
	1. Up to 11 KV	200	
	2 Exceeding 11 KV and up to 33 KV	500	
	3. Exceeding 33 KV and up to 132 KV	1000	
	4. Exceeding 132 KV and up to 220 KV	2000	
	5. Exceeding 220 KV and up to 400 KV	3000	
	6. Exceeding 400 KV	5000	
(5) New High Voltage and Extra High Voltage Cables/Bus duct (Except over head lines)			
The Installation of the electricity Consumers, Generator, Generating company, Transmission company, Distribution company, Franchisee	1. Up to 11 KV		At the time of New / addition / alteration
	A- For first 100 meters or part thereof	500	
	B- For each additional 100 meters or part thereof	200	
	2. Exceeding 11 KV and up to 33 KV		
	A- For first 100 meters or part thereof	1000	
	B- For each additional 100 meters or part thereof	500	
	3. Exceeding 33KV		
	A-For first 100 meters or part thereof	2000	
	C- For each additional 100 meters or part thereof	1000	
(6) Over heads Lines and Service Lines not covered by item-4			
The Installation of the electricity Consumers, Generator, Generating	1. For each span	50	
	2. For each crossing	200	

company, Transmission company, Distribution company, Franchisee			
---	--	--	--

Part-II Under Section 54 (Electricity Act, 2003)

(i) Installations under Section 54 of The Electricity Act, 2003	(1) Permanent Places for Marriage		Once in a year
	(A) Installations up to 100 KVA	1000	
	(B) Installations exceeding 100 KVA and up to 500 KVA	2000	
	(C) Installations exceeding 500 KVA and up to 1000 KVA	3000	
	(D) Installations exceeding 1000 KVA	5000	
	(2) Temporary Places for Marriage	1000	Before each connection
	(2) Nursing Homes/ Hospitals/ Hotels/ Shopping Mall		Once in a year
	(A) Installations up to 100 KVA	2000	
	(B) Installations exceeding 100 KVA and up to 500 KVA	3000	
	(C) Installations exceeding 500 KVA	5000	
(ii)- Cinema or other places of Public entertainment	(1) Permanent cinema or theater or multiplex (Each Screen)	2000	Once in a year
	(2) For traveling cinema or temporary place of public entertainment	1000	Twice in a year
(iii) Other High Voltage Installations	Equipment like X-Ray, Neon sign, C. T. Scan etc	1000	Once in a year

Part-III Other Electrical Installations

(1)- Multi Stories Buildings	For each Multi Stories Building	2000	Once in a year
(2)- Installations of Lift / Escalator	For each Lift/ Escalator installation	2000	Once in a year

Note-For the purpose of inspection fees-

- (1) No inspection fees shall be payable on medium voltage equipment installed within high voltage and extra high voltage installation, but fee shall be payable for Booster, Capacitor Bank, Generator, Reactor, Motor, Transformer, Breaker/Panel installed within high voltage and extra high

- voltage installation as the rate specified in the schedule of Part-I (2) on each equipment in accordance to their capacity.
- (2) For the generator installed in medium voltage/ high voltage/extra high voltage installation, inspection fees shall be payable as the rate specified in schedule Part-I(2).
 - (3) For the approval of drawing of new electrical installation or addition or alteration of installation, eighty percent of rates of inspection fees shall be payable in advance as specified in schedule.
 - (4) Inspection fees for Cinema, X-rays, High voltage Neon sign tubes, Lift, escalator and generator, shall be payable in each case separately.
 - (5) For the internal installation of marriage/nursing homes/hospitals/ hotels /shopping mall inspection fees shall be payable as the rate specified in (1) and (3) of Part-II(i) of schedule and transformers and generators installed in these installations, inspection fees shall be payable as specified in schedule Part-I(2).
 - (6) "Kilovolt amperes" or "BHP" or "KVAR" shall be read instead of "Kilowatts" wherever the machinery or equipment is so rated.
 - (7) Government water works, sewage pumping stations are exempted from the levy of inspection fee.
 - (8) Escalator or Lift installed in medium voltage/ high voltage/extra high voltage installation, Inspection fees shall be payable as per the rate specified in schedule Part-III(2).
 - (9) Inspection fee for generator or cooling plants in cinema installation shall not be payable separately.
 - (10) Payment of Fees -

The fees shall be paid by the owner or his agent into a Government Treasury under the head:

Revenue Head for installation except cinema	0043-Taxes and Duties on Electricity 102-Fees under the Indian Electricity Rules and
Revenue Head for Cinemas	0043-Taxes and Duties on Electricity 103- Fees for the Electrical Inspection of Cinemas

and the Treasury Chalan shall be sent to the Electrical Inspector or Assistant Electrical Inspector.

(11) The fees shall be paid before the date shown below:

- (i) For existing installations except those coming under category part-II (i) (2) and (ii) (2) above, the fees shall be paid before 1st May in each year. The fees payable by the Madhya Pradesh Poorva/ Paschim/ Madhya Kshetra Vidhut Vitran Company Limited, Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited and Madhya Pradesh Power Generating Company

Limited for their installation shall be paid within one month from the date of receipt of the bill after the inspection.

- (ii) For installation coming under part-II (ii) (2) above, the fee for respective half year shall be paid before 1st May and 1st November. In case the installation is not in use on the above dates, the fees for the each half year shall be paid before the installation is used.
- (iii) For the new HT/EHT/Producer (Generator) installation or new cinemas including additions or alterations, the fees shall be paid in advance and the Treasury Chalan shall be sent to the Electrical Inspector or Assistant Electrical Inspector along with the application for inspection or approval of such installations. The inspection fee of the new installations shall be payable 50 % more as specified in schedule part-I (2).
- (iv) For other new installation including addition or alteration and seasonal factories, the fees shall be paid before the installations are brought into use.
- (v) Fee payable for additional inspection shall be paid before the date specified by the Electrical Inspector in each case.
- (vi) Fees under category part-I (6) shall be levied only for each subsequent inspection necessitated due to breach of any of the provisions of the Electricity Act, 2003 or rules or regulation made their under, separate fee shall be payable for each service line tapped from the same pole.
- (12) In case the fee is not paid before the dates shown in clause (11), the fee payable shall be increase by 20%.
- (13) In case the inspection or additional inspection is not carried out, the fee paid shall be adjusted towards that payable for the sub-sequent year or half year.
- (14) If any new installation is brought into use during the last two months of the financial year, the annual fee paid shall be deemed to cover the short period of the year in which the fee is paid as well as the full period of the next financial year.
- (15) If any installation is disconnected or dismantled before an inspection is carried out no fee shall be charged.
- (16) In case of motors or other apparatus for power purposes installed on trial for a period not exceeding 15 days, no fee shall be charged.
- (17) "Year" for the purpose of this notification means a financial year from 1st April to 31st March.
- (18) The fee prescribed above will be payable for each periodical inspection as per frequency of inspection shown above. First or initial inspection will be deemed to be the periodical inspection for the period in which the inspection has been carried out. For each additional inspection carried out due to breach of any of the provisions of the Electricity Act, 2003 or rule

and regulation made thereunder or the Cinematograph Rules and Regulations, one half of the previous inspection fees will be charged.

Part-IV - DISPUTES

If the Chief Electrical Inspector or Electrical Inspector is called upon to settle any difference or dispute arising under the Electricity Act, 2003 or the rules made there under or under any agreement, the following fee shall be payable .

- (a) In respect of low and medium voltage consumersRs. 250/-
- (b) In respect of High and Extra High voltage consumers Rs. 5000/-

Note :

On receipt of application in connection with a difference or dispute between a consumer and licensee as to the correctness of any meter, the Electrical Inspector will arrange with the consumer and the Licensee to attend at the premises of the consumer. The Electrical Inspector will take charge of the meter which is not to be disconnected from the circuit except in his presence and then only by the Licensee.

Part V – Tests of Apparatus

For testing of meters and other testing, the fee payable shall be as follows –

S. No.	Name of the test/equipment to be tested	Fee payable (Rs. Per meter/per test)
(1)	(2)	(3)
(a)	Ammeter, Voltmeter, Watt Meter, Power Factor Meter, Frequency Meter .	200
(b)	Energy Meter – up to 20 Amps Exceeding 20 Amps.	500 1000
(c)	Insulation Tester – 500 Volts Exceeding 500 Volts	500 800
(d)	Oil Test-Di-electric Strength/Acidity.	300
(e)	Insulation Test – Low and Medium Voltage High and extra High Voltage	200 500
(f)	Voltage testing	200
(g)	Earth Tester.	500

Note :

- (1) In case 10 or more meters of the same range and specifications are to be tested if one batch or voltage is to be tested 10 times or more within a continuous period at every hour or half an hour, the fee payable shall be half of the fee shown above .
- (2) The above tests will be carried out to the extent of the facilities available.
- (3) If in case of dispute, the testing of meter is found necessary, a fee for such testing shall be in addition to the dispute fee.

- (4) The fee for test other than shown above and found necessary shall be charged at such rate as the State Government may fix from time to time.
- (5) For testing of any equipment or sample an application shall be given as per attached form. The equipment and terminals shall be in healthy condition. Any auxiliary equipment necessary for the test shall also be produced.
- (6) The fee payable shall be deposited in the Government Treasury and the Chalan sent to the Electrical Inspector.

THE FORM OF APPLICATION FOR TESTING OF ELECTRICAL
APPARATUS AND OTHER TEST

To,
The Electrical Inspector,

We are submitting the equipment / samples as per details below for testing – _____

1. Name of the equipment.
2. Name of the Manufacturer of the equipment.
3. Equipment's Manufacture number.
4. The capacity and voltage of the equipment.
5. Details of the samples.
6. Date of taking the sample.
7. Name and designation of the person who has taken out the sample.

We hereby agree that we shall not claim from the Government of Madhya Pradesh or the Electrical Inspector any compensation for any damage to or loss of the apparatus due to any cause whatever during time to it remains in the custody of the Electrical Inspector.

Place-----

Date -----

(Signature of the applicant)

Name.....

Designation.....

Name of the Organization

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

M. K. GUPTA, Addl. Secy.